Court No. - 85

Case: - CRIMINAL APPEAL No. - 7567 of 2023

Appellant :- Ashok Rai And Another **Respondent :-** State Of U.P. And 3 Others **Counsel for Appellant :-** Vibhu Rai

Counsel for Respondent :- G.A., Pradeep Kumar Rai

Hon'ble Mayank Kumar Jain, J.

- 1- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री विभु राय , विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार राय एवं राज्य की तरफ से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
- 2- वर्तमान दाण्डिक अपील, अपीलार्थींगण अशोक राय एवं पियूष राय की ओर से मु०अ०सं० 2092 वर्ष 2016, अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 354-बी, भा०दं०वि०, सपिठत धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट, सपिठत धारा 3 (1) (12) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर, में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय, गाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1085/2023 (पियूष राय उर्फ विवेक कुमार राय एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य), स्पेशल सत्र परीक्षण संख्या 19 वर्ष 2017 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2023 को अपास्त करने एवं उपरोक्त मु०अ०सं० में अपीलार्थींगण द्वारा अग्रिम जमानत की माँग करते हुए इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में अपीलार्थींगण को जमानत पर रहा किया जा सके।
- 3- संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.11.2016 को समय 08:45 रात्रि में वादी पंकज राय के घर की चारदीवारी फांदकर उसके चचेरे मामा सुनील राय , जिनसे संपत्ति का विवाद है, के साले पम्पम राय शराब के नशे में दो अन्य लोगों के साथ, जो अपना चेहरा हेलमेट से ढके हुए थे, घर में घुस गये और परिवादी को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते हुए दरवाजा भड़भड़ाने लगे। उसके घर में रहने वाली सोनी, उम्र 12 वर्ष, ने दरवाजा खोला तो पम्पम राय और उसके

साथ आये लोगों ने उसके साथ अश्लील हरकतें प्रारम्भ कर दी। उसका शोर सुनकर जब परिवादी की पत्नी पहुँची और रोका तो, ये लोग परिवादी की पत्नी के साथ धक्का -मुक्की व गाली-गलौज करने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब परिवादी बाहर आया, तब तक आस-पास के बहुत से लोग भी घर के सामने आ गये, जिनमें अजिताभ राय उर्फ राहुल, आशुतोष सिंह आदि भी थे, इन लोगों की आहट पाकर तथा परिवादी व अन्य लोगों द्वारा विरोध करने पर पम्पम राय व उनके साथ आये लोगों ने असलहा लहराते हुए यह धमकी दी कि सुनील की जमीन पर उन पर किये गये मुकदमे वापस ले लो वरना जान से हाथ धो बैठोगे और वहाँ से भाग गये।

4- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं हैं। वादी पंकज राय ने अपने कथन अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में भी अपीलार्थीगण का नाम घटना में सम्मिलित होने के संबंध में नहीं बताया है। गवाह निलेश गुप्ता ने प्रथम बार अपने कथन अपने कथन अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में अपीलार्थी पियूष राय को मौके पर पहचानना बताया है कि जब उसने हेलमेट उतारकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो, उसे पहचान लिया गया था। साक्षी अजिताभ राय अपने अपने कथन अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में अपीलार्थी अशोक राय को पहचानने का कथन किया है। कुमारी सोनी ने अपने कथन अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में अपीलार्थीगण के नाम का उल्लेख नहीं किया है एवं अंतर्गत धारा 164 दं०प्र०सं के अपने कथन में भी सोनी कुमारी ने सिर्फ पम्पम राय के विरुद्ध आरोप लगाये हैं तथा अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है।। साक्षी कुमारी सोनी को चिकित्सक आख्या में साधारण चोटें आना अंकित किया गया है। श्रीमती आकांक्षा राय, जो कि परिवादी की पत्नी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना स्थल पर उपस्थित थी, के द्वारा भी अपीलार्थीगण को मौके पर नहीं पहचाना गया है और न ही उनका नाम अपने कथन अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में कहा गया है। इसके अतिरिक्त उक्त आकांक्षा राय ने संबंधित न्यायालय के समक्ष अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया कि वादी ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे मारपीट कर विवश किया गया था।

5- अपीलार्थींगण के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से बलपूर्वक यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके विरुद्ध धारा 3 (1) (12) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि प्रथमतः अपीलार्थींगण घटनास्थल पर वादी अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं पहचाने गये हैं एवं द्वितीयतः उक्त घटना घर के अंदर होना कथित किया गया है। परिवादी ने स्वयं अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह तथ्य स्वीकार किया है कि पूर्व से ही दीवानी प्रकृति का विवाद चल रहा था। अपीलार्थी अशोक राय के विरुद्ध दो मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें एक प्रकरण में उसे संबंधित न्यायालय द्वारा उन्मोचित कर दिया गया है तथा दूसरे प्रकरण में वह जमानत पर है तथा दोनों आदेशों को पूरक शपथपत्र द्वारा दाखिल किया गया है।

6- अपीलार्थींगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपीलार्थींगण के विरुद्ध धारा 3 (1) (12) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध नहीं बनता है, क्योंकि कथित घटना घर के अन्दर होना कहा गया है। यदि अपीलार्थींगण का अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो वे विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा विचारण प्रक्रिया पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं डालेंगे।

7- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण के परिवादी के वादी के मध्य ग्राम शेरपुर, जिला गाजीपुर की संपत्ति के बारे में विवाद सक्षम न्यायालय में लंबित है। विपक्षी संख्या 4 के विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण लंबित हैं। दिनांक 07.12.2006 को विपक्षी संख्या 4 ने अपीलार्थी संख्या 1 के भाई की पत्नी को निर्दयतापूर्वक मारा था, इसके बारे में मुकदमा अपराध संख्या 114 वर्ष 2007 दर्ज हुआ, जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

8- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 4 ने शस्त्र लाइसेंस धोखाधड़ी करके प्राप्त किया, जिसके बारे में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या 1487 वर्ष 2015 दर्ज हुआ, जिसमें उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया तथा जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश दिनांक 04.08.2015 के द्वारा लाइसेंस

निरस्त किया गया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 4 अपीलार्थीगण से रंजिश रखता है।

9- अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० 3532 वर्ष 2022 सुरेश बाबू प्रति उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि धारा 82 दं०प्र०सं० के प्रावधानकिसी भी रूप में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के उपचार के प्रतिकूल नहीं हैं।

10- इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय तथा जिनका सहयोग परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है, द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गाय तथा कहा गया है कि अपीलार्थींगण के विरुद्ध धारा 82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही प्रचलित है, अतः इस कारण वे अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं हैं। अपने तर्क के समर्थन में उनके द्वारा अनूप कुमार सिंह बनाम उ०प्र० राज्य, 2023 (2) जे०आई०सी० पृष्ठ 653 इलाहाबाद का संदर्भ दिया गया है तथा यह भी कहा गया है कि श्रीमती आकांक्षा राय का शपथपत्र पढ़े जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया है कि उनका एवं परिवादी का तलाक हो चुका है।

11- विपक्षी संख्या 4 की तरफ से प्रति शपथपत्र के माध्यम से कहा गया है कि उनका शस्तर लाइसेंस गलत आधारों पर निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध विपक्षी संख्या 4 द्वारा अपील प्रस्तुत की गई तथा उनको लाइसेंस निर्गत किया गया। जहाँ तक आपराधिक मामलों का विषय है, विवेचनाधिकारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अनुचित विवेचना करके आरोपपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जो अभिलेख से संबंधित हैं।

12- इसके प्रतिकूल अपीलार्थींगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से संजय पाण्डेय बनाम उ०प्र० राज्य, आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 438 दं०प्र०सं० संख्या 7455 वर्ष 2023 का संदर्भ दिया गया है एवं कहा गया है कि इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा लवेश बनाम राज्य (एन०सी०टी० दिल्ली) (2012) 8 एस.सी.सी.730 पर विचार करते हुए आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया

है कि दिनांक 01.05.2023 को गैर-जमानतीय वारण्ट जारी हुआ है और उसी दिन अपीलार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खण्डित हुआ है।

13- अपीलार्थीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं हैं। वादी, कुमारी सोनी एवं वादी की पत्नी ने अपने कथन में अपीलार्थीगण के नाम का उल्लेख नहीं किया है। जिन गवाहान के कथन के आधार पर अपीलार्थीगण का नाम प्रकाश में आया है, उनके द्वारा अपीलार्थीगण को जाते हुए देखने का कथन किया गया है। अपीलार्थीगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र जिस दिन विद्वान संबंधित न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है, उसी दिन उनके विरुद्ध गैर-जमानतीय अधिपत्र जारी किये गये हैं, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा अग्रिम जमानत के विधिक उपचार हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया एवं आदेशिका का कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अस्वीकार हो जाने के पश्चात इस न्यायालय में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के आलंबन रहने की अवधि में जारी आदेशिका का कोई प्रतिकूल प्रभाव अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के गुण अवगुण पर नहीं पड़ता है। जहाँ तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अपराधों का विषय है, प्रथमदृष्टया रूप से यह प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा घटना घर के भीतर कारित होना कहा गया है।

14- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (एन०सी०टी० दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एस०सी०सी० पृष्ठ 1 में यह अभिमत प्रकट किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, अपराधी की भागीदारिता, उसके द्वारा विवेचना को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की आशंका अथवा साक्षीगण को अनुचित रूप से प्रभावित करने की आशंका तथा उसके पलायन करने की आशंका आदि तथ्यों पर विचार होना चाहिए।

15- वर्तमान मामले में अग्रिम जमानत संबंधी विधि के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों , आरोपों की प्रकृति, अपीलार्थीगण की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , अग्रिम जमानत की प्रार्थना स्वीकार किए जाने योग्य है।

16- तद्नुसार अपीलार्थीगण का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

17- उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित अपीलार्थींगण अशोक राय एवं पियूष राय की गिरफ्तारी की दशा में , उसे संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी की संतुष्टि पर रू० 50,000/- का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं उसी धनराशि के दो-दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा-

(i). अपीलार्थीगण पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच हेतु अपेक्षित समय पर उपस्थित रहेंगे।

(ii). अपीलार्थींगण मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति या पुलिस अधिकारियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए।

(iii). अपीलार्थीगण विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv). अपीलार्थीगण अदालत की पूर्व अनुमित के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे और यदि उनके पास पासपोर्ट है तो उसे संबंधित एस०एस०पी०/एस०पी० के समक्ष जमा करेंगे।

18- उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विवेचनाधिकारी /अभियोजन पक्ष को, अपीलार्थीगण को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु उपयुक्त आवेदन देने की स्वतंत्रता होगी।

Order Date :- 20.9.2023

Pawan Kumar